

23³/22

आज यह पत्रावली पेश की गई।
 वादी के वकील उपस्थित हैं।
 प्रत्यक्ष के वकील उपस्थित हैं। वादी एवं
 उनके वकील को बार-बार आवाज दिलायी
 गई। किंतु वे उपस्थित नहीं आये।
 वादी की अदालत हाजरी व अदालत पेंचकी
 वस्तुकी स्नाफिर होगी है। अतः वादी
 की अदालत हाजरी अदालत पेंचकी के
 कारण वाद पत्र खरिज किया जा रहा है।
 इस्त वाद के संलग्न वाद-पत्र 71/06
 एवं 187/98 को सुधरु किया जा रहा
 है। यह वाद पत्र जौतल थुमार होकर
 नम्बर से कम किया जावे। वाद
 पत्रों आवश्यक जिला लेख मज्दार
 अलवर में जमा कराया जाके!

उपस्थंड अधिकारी
 बहरोड़ (अलवर) राज०